(33)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3681–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–10–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण कमांक 71/निगरानी/2008–09.

बबन पिता सुभाष अग्रवाल
निवासी ग्राम ओझर
तहसील राजपुर जिला बड़वानी .....आवेदक

विरूद्ध

1– दितला पिता किशन बारेला
2– शकु पिता किशन बारेला (मृत)
द्वारा वारिसानः
(अ) श्रीमती सिरोट्टी बाई पति स्व. शकु
निवासी ग्राम पानवा
तहसील राजपुर जिला बड़वानी
(ब) श्रीमती सेवंतीबाई पति साऊकार (पिता स्व. शकु
निवासी ग्राम पीपरी बु. जिला बड़वानी
3– वात्सला बाई बेवा बद्रीलाल महाजन तर्फे वारिसान
(अ) संजय पिता बद्रीलाल गुप्ता
(ब) ललीत पिता बद्रीलाल गुप्ता
(स) चंद्रकांत पिता बद्रीलाल गुप्ता
निवासीगण मेनरोड, पिछली गली, ओझर
तहसील राजपुर जिला बड़वानी
(द) श्रीमती मालती पति लखनलाल कानूनगो
निवासी सेला ज्योति अपार्टमेन्ट
18, चोईथराम मंडी इंदौर
(ई) श्रीमती पायल पति धीरज गुप्ता
निवासी ग्राम 165, देवीसिंह गार्डन रोड
शांता मोहल्ला बड़वानी
4– प्रबंधक सेवा सहकारी समिति देवला
तहसील राजपुर जिला बड़वानी .....अनावेदकगण

श्री पी.जी. पाठक, अभिभाषक, आवेदक
श्री के.सी. पाल, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/2/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–10–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पानवा तहसील राजपुर जिला बड़वानी स्थित भूमि सर्वे कमांक 545, 546/2, 549, 550 कुल रकबा 20.43 एकड़ वर्ष 1959–60 में छितु, गोण्डा, दलसिंह, मनसिंह पिता विरजी, किशन्या पिता हरसिंग बारेला के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी । वसूली अधिकारी, सहकारी समिति द्वारा ऋण वसूली हेतु प्रश्नाधीन भूमि रूपये 4300/– में नीलाम की गई, जो गैर आदिवासी अनावेदिका कमांक 3 वात्सला बाई द्वारा कय की गई । तत्पश्चात अनुविभागीय अधिकारी, बड़वानी द्वारा संहिता की धारा 170 (क) के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण में आदिवासी को कपट वंचित नहीं पाते हुए दिनांक 23–4–85 को आदेश पारित कर प्रकरण समाप्त किया गया । दिनांक 6–2–95 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि आदिवासी की भूमि मात्र 864.83/– रूपये की वसूली हेतु 20.43 एकड़ भूमि सहकारी समिति द्वारा नीलाम कर दी गई है, जो कि संदिग्ध है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत कलेक्टर, बड़वानी से पुनर्विलोकन की अनुमति ली जाकर दिनांक 28–2–2004 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि मूल आदिवासी को वापिस किये जाने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील कलेक्टर, बड़वानी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 30–4–2005 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाकर दिनांक 18–5–2006 को आदेश पारित कर प्रकरण समाप्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर, बड़वानी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 28–2–2009 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नाधीन भूमि मूल आदिवासी के वारिसान को वापिस दिलाये जाने के आदेश दिये गये । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, इंदौर

संभाग, इंदौर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18–10–2016 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अन्तरण की पूर्ण जांच कर, साक्ष्य के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय को सद्भाविक माना गया था, परन्तु अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा बिना किसी आधार के संक्षिप्त आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया गया है अनावेदक कमांक 1 व 2 के पास कर चुकाने के लिए कोई साधन नहीं होने के कारण, स्वयं उनके द्वारा भूमि नीलाम किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कियां गया ।

(3) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस कानूनी बिन्दु को भी नजरअंदाज किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कमांक 3 द्वारा नीलामी में कय की जाकर वर्ष 1973 में उसका नामान्तरण हो चुका है और संहिता की धारा 165 (5) में दिनांक 6–2–1990 के पूर्व यह प्रावधान था कि इस उपधारा की कोई बात किसी सहकारी सोसायटी के मामले में उस दशा में लागू नहीं होगी, जब कोई भूमि ऐसी सोसायटी के पक्ष में पारित किसी डिकी या आदेश के निष्पादन में बेची जाना है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि का औसत मूल्य जांच में जो पाया गया है, उसे अधिक मूल्य में भूमि नीलाम की गई थी, अतः आदिवासी के साथ छलकपट नहीं हुआ है ।

(5) नीलामी की कार्यवाही विधिवत की गई है, इससे भी स्पष्ट है कि आदिवास के साथ छलकपट नहीं हुआ है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि पर कभी भी अनावेदिका कमांक 3 का वत्सलाबाई का कब्जा नहीं रहा है और वत्सलाबाई द्वारा अपने सेल सर्टिफिकेट के आधार पर गैर आदिवासी आवेदक बबन पिता सुभाष अग्रवाल को भूमि विकय कर दी गई है, किन्तु प्रश्नाधीन भूमि आज तक गैर आदिवासी का कोई कब्जा नहीं रहा है । आज भी उक्त भूमि पर अनावेदक कमांक 1 व 2 आदिवासी ही काबिज हैं ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जांच कराई गई है, जिसमें यह पाया गया है कि 20 एकड़ 43 डिसमिल भूमि 864 रूपये 63 पैसे की वसूली के लिए नीलाम की गई है और प्रश्नाधीन भूमि आगरा–मुम्बई मार्ग पर स्थित है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–2–2004 को, अपर कलेक्टर द्वारा 28–2–2009 को एवं अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18–10–2016 को अनावेदक के पक्ष में आदेश पारित किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि छलकपट कर अन्तरण किया गया है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालयों में अनावेदक कमांक 4 समिति के प्रबंधक अनुपस्थित रहे हैं और उनके द्वारा यह सिद्ध नहीं किया गया है कि किस मद का केस ऋण बाकी आदिवासी पर था, जिसकी ऋण वसूली के लिए सम्पूर्ण भूमि विकय की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 1990 आर.एन. 193, 1990 आर.एन. 218, 1990 आर.एन. 287 एव 1990 आर.एन.300 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से नीलामी की कार्यवाही प्रथम दृष्टया ही सद्भाविक नहीं माना जा सकता है । अनावेदक कमांक 1 व 2 आदिवासी से मात्र 864.83 रूपये की वसूली करने के लिए रूपये 4300/– में उनकी 20.43 एकड़ पूरी भूमि ही अनावेदक कमांक 4 सोसयाटी द्वारा कपटपूर्वक नीलाम कर दी गई है, जबकि वसूली योग्य राशि अत्यन्त अल्प राशि थी, अतः उक्त राशि वसूल करने के लिए प्रश्नाधीन भूमि का कुछ भाग पट्टे पर दिया जाकर वसूल भी की जा सकती थी । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि आदिवासी की भूमि नीलाम करने से पूर्व कलेक्टर की अनुमति नहीं ली गई है । यह भी स्पष्ट है कि संहिता की धारा 165 (7–क) का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए आदिवासी की पूरी भूमि नीलाम कर दी गई । अतः अपर कलेक्टर द्वारा आदेश में विधिवत विवेचना करते हुए नीलामी की कार्यवाही कपटपूर्वक होना मानकर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा मूल आदिवासी किशन पिता हरसिंग मृतक के वारिसानों को दिलाये जाने के आदेश देने में

कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई । अपर आयुक्त द्वारा भी अपने आदेश में विस्तार से विवेचना करते हुए नीलामी की सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित एवं छल–कपटपूर्वक होने के कारण अपर कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखा गया है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–10–2016 एवं अपर कलेक्टर, जिलर बड़वानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–2009 वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाते हैं निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर